"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक. जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261-A] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 सितम्बर 2011—भाद्र 16, शक 1933

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 16, 1933)

क्रमांक-10622/वि. स./विधान/2011.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) जो दिनांक 07 सितम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011

विषय सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

खण्ड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

4. सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.
5. बल के सदस्यों के कृत्य एवं कर्त्तव्य.
6. निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.
7. बल के सदस्यों की नियुक्ति.
8. बल के सदस्यों का प्रशिक्षण.
9. पारिश्रमिक, भत्ते इत्यादि.
10. बल से सेवा की समाप्ति, इत्यादि.
11. विद्यमान विशेष पुलिस अधिकारियों के संबंध में प्रावधान.

अध्याय-तीन

विविध

12. राहत एवं पुनर्वास.
13. राज्य पुलिस में आरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता.
14. सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों के कार्यों का संरक्षण.
15. नियम बनाने की शक्ति.
16. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति.
17. निरसन एवं व्यावृत्तियां.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 16 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011

राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण, माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं समर्थन के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल के गठन एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए उपबंध किए जाने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) इसे भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् माह जुलाई, 2011 की पांचवीं तिथि से प्रभावशील हुआ समझा जाएगा.

परिभाषाएं.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संबंधित पुलिस जिले का पुलिस अधीक्षक;

(ख) "परिवार का सदस्य" से अभिप्रेत है, बल के सदस्य की पत्नी, बच्चे एवं माता-पिता;

(ग) "बल" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल,

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन;

(ङ) "माओवादी/नक्सली हिंसा" से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है, सी.पी.आई. (माओवादी) के सदस्यों द्वारा नियोजित एवं संगठित हिंसा की गतिविधियां, इसके समस्त रूप एवं अग्र संगठन (फ्रंट ऑर्गेनाईजेशन), जिन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है तथा जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 एवं छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) के अधीन प्रतिबंधित किए गए हैं;

(च) "बल के सदस्य" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य;

(छ) "स्थायी नि:शक्तता" से अभिप्रेत है, बल के किसी सदस्य की 50 प्रतिशत एवं अधिक की ऐसी नि:शक्तता जो स्थायी प्रकृति की हो एवं नि:शक्तता की श्रेणी में परिवर्तन की संभावना न हो एवं ऐसी उपहति/नि:शक्तता ऐसी हो जो पीड़ित को अपने शेष जीवन काल में सामान्य जीवन के लिए अनुपयुक्त बना देती हो;

(ज) "पुलिस जिला" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) के अधीन पुलिस जिले के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ञ) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित छानबीन समिति;

(ट) "सुरक्षा बल" से अभिप्रेत है, तथा इसमें सम्मिलित है राज्य पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई अर्ध सैनिक या सशस्त्र बल;

(ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित चयन समिति;

(ड) "संवेदनशील क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसे क्षेत्र जिनके नक्सली/माओवादी हिंसा या अन्य किसी हिंसा का लक्ष्य होने की आशंका है;

(ढ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो कि इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु विशेष तौर पर परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) के अधीन परिभाषित हैं.

अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं.

3. इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे.

अध्याय-दो

बल का गठन एवं संगठन

सहायक सशस्त्र पुलिस बल का गठन.

4. (1) राज्य के लिए एक सहायक सशस्त्र पुलिस बल होगा जिसे छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के नाम से जाना जाएगा जो लोक व्यवस्था के संधारण एवं माओवादी/नक्सली हिंसा एवं विद्रोह इत्यादि से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग करेगा.

(2) सहायक सशस्त्र पुलिस बल में ऐसी संख्या में व्यक्ति शामिल होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए.

बल के सदस्यों के कृत्य एवं कर्त्तव्य.

5. (1) बल के किसी सदस्य के कृत्य एवं कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे--

(क) सुरक्षा बलों की सहायता एवं सहयोग—

(एक) लोक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में;

(दो) आंतरिक सुरक्षा परिरक्षित करने में;

(तीन) संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त करने; एवं

(चार) गुप्त सूचना एकत्र करने में.

(ख) लोक सम्पत्ति की सुरक्षा करना;

(ग) प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा से उत्पन्न स्थितियों में लोगों की सहायता करना;

(घ) राहत कार्यों में शासकीय/लोक अभिकरणों की सहायता करना;

(ङ) लोक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सुरक्षा उपलब्ध कराने में सुरक्षा बलों की सहायता करना;

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना जो कि राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन्हें सौंपा जाए.

(2) उपरोक्त उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा के सदस्य उपर्युक्त कर्त्तव्यों के निर्वहन में, किसी अभियान के दौरान अग्रणी पंक्ति के स्थानों में तैनात नहीं किए जाएंगे तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त वे सदैव सुरक्षा बलों के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे जहां उनके जीवन को कोई आसन्न संकट न हो.

निर्देशन, पर्यवेक्षण इत्यादि.

6. (1) सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सामान्य पर्यवेक्षण सभी विषयों के संबंध में राज्य सरकार में निहित होगा.

(2) बल का समग्र प्रशासन एवं निर्देशन राज्य के पुलिस महानिदेशक में निहित होगा.

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उपरोक्त के अध्यधीन रहते हुए, बल का निर्देशन एवं पर्यवेक्षण, संबंधित पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक में निहित होगा.

बल के सदस्यों की नियुक्ति.

7. (1) किसी पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल की नियुक्ति, इस अधिनियम की धारा 11 एवं निम्नलिखित उप धाराओं में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार चयनित व्यक्तियों के बीच में से जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी.

(2) पुलिस जिले के लिए सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संबंधित पुलिस क्षेत्र (रेंज) के प्रभारी महानिरीक्षक द्वारा गठित चयन समिति द्वारा जिले में निवासरत मूल व्यक्तियों के बीच में से किया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र, भूदृश्य (स्थलाकृति) एवं स्थानीय भाषा/बोली के जानकार हों.

(3) चयन समिति में तीन सदस्य समाविष्ट होंगे, जो उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न के नहीं होंगे, जिसमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा.

(4) बल में चयन के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा, क्रमशः 18 वर्ष तथा 45 वर्ष होगी.

(5) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो राज्य पुलिस में पुलिस आरक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को पूरा करते हों.

(6) बल में नियुक्ति हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति चयनित किए जाएंगे जिन्होंने कक्षा पांचवी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की हो:

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन सहायक सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य माना गया है तथा वह पूर्वोक्त अर्हता धारण नहीं करता, उसे धारा 8 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति. 15. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए तथा इसे प्रभावशील बनाने के लिए नियम बना सकेगी.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के उपरांत यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. 16. (1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जिसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश, इसके पारित किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

निरसन एवं व्यावृत्तियां. 17. (1) छत्तीसगढ़ राज्य के लिये लागू छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया निरसन ऐसे निरसित अध्यादेश के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा. निरसित अध्यादेश के प्रावधानों के द्वारा अथवा अंतर्गत किया गया कोई कार्य या कारित या किया गया या कारित समझा गया कोई कार्य, (जिसमें कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निर्देश या जारी सूचना, विनियम या निर्मित नियम, सम्मिलित हैं) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया माना जायेगा और वह तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी कार्य या कार्यवाही द्वारा निरसित न किया जाये.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में लोक व्यवस्था के संधारण, माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में सुरक्षा बलों की सहायता एवं समर्थन के लिए एक छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के गठन एवं इससे संबंधित और इसके आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए उपबंध किए जाने हेतु विधेयक;

यत:, राज्य का एक बड़ा हिस्सा, जो मुख्यत: वनों से आच्छादित एवं दुर्गम आदिवासी क्षेत्र है, माओवादी/नक्सल हिंसा से प्रभावित हैं एवं इन प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी/नक्सली हिंसा, विद्रोह से बचाव, नियंत्रण एवं उनका सामना करने में संलग्न सुरक्षा बलों की सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों का एक प्रशिक्षित सशस्त्र बल स्थापित करने की आवश्यकता है जो स्थानीय क्षेत्र एवं भूदृश्य (स्थलाकृति) तथा स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान रखते हों.

अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 26-8-2011

ननकीराम कंवर
गृह मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

अध्यादेश प्रख्यापित करने की परिस्थितियों के संबंध में ज्ञापन

माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिका (सिविल) क्रमांक-250/07 एवं रिट याचिका (क्रिमिनल) क्रमांक-119/07 में दिनांक 5-7-2011 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने तथा नक्सल विरोधी कार्यवाही में पुलिस बल को आवश्यक सहयोग देने हेतु विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं के संबंध में आवश्यक विधिक प्रावधान करना समीचीन था. चूंकि तत्समय विधान सभा सत्र में नहीं थी और विषय अत्यावश्यक एवं अविलम्बनीय प्रकृति का था, अत: छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 प्रख्यापित किया गया.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 8, 9 (1) एवं 12 में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रति वर्ष अनुमानतः रुपये 58,36,32,000/- (रुपये अठ्ठावन करोड़, छत्तीस लाख, बत्तीस हजार केवल) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल विधेयक, 2011 के खण्ड 15 (1) के अधीन राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, लेकिन यह सामान्य स्वरूप की है और अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत ही प्रयोग में लाई जा सकती है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.